भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

19.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3074 का उत्तर

वरिष्ठ नागरिकों को किराये में रियायत को पुन: बहाल करना

3074. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महामारी के बाद वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें बहाल न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें बहाल करने की योजना बना रही है;

(ग) रियायत वापस लेने के बाद वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए रेलवे द्वारा शुरू किए गए वैकल्पिक उपायों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मार्च 2020 में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों के निलंबन के बाद से रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष बचाई गई राजस्व राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास करती है और वर्ष 2022-23 में यात्री टिकटों पर ₹56,993 करोड़ की रियायत दी। यह रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 46% की रियायत है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत ₹100 है, तो टिकट की कीमत केवल 54 रु. है। यह रियायत सभी यात्रियों के लिए जारी है। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों की 4 श्रेणियों (दिव्यांगजन), रोगियों की 11 श्रेणियों और छात्रों की 8 श्रेणियों जैसी कई कोटियों के लिए इस सब्सिडी राशि से अलग रियायतें जारी हैं।

****